रामविलास बनाम मांगीलाल
211/2022
निर्णय दिनांक : 04.04.2024

मूल वाद में अन्तिम संशोधित डिक्री

न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा

जिला चित्तौड़गढ़

(पीठासीन अधिकारी – (विकास पंचोली, आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र संख्या:–211/2022
GCMS No. -2022/653

1. रामविलास उर्फ कैलाशचन्द्र पुत्र स्व० श्री भोलीराम सुथार निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

– वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र स्व० श्री भोलीराम सुथार निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. रमेश पुत्र स्व० श्री भोलीराम सुथार निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल बालोटिया निवासी बालोटीया टेलीकॉम बस स्टेण्ड निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
4. उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–88,53,188,209 राजस्थान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

प्रकरण आज दिनांक को वादी के अधिवक्ता श्री अबरार अहमद एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री विशाल कुमावत की उपस्थिति में अन्तिम बहस हेतु प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता कि वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बडोलीघाटा पटवार हल्का बडोलीघाटा के खाता संख्या 294 की आराजी नम्बर 169 रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि में वादी का 0.1400 हैक्टेयर , प्रतिवादी नम्बर 1 का 0.500 हैक्टेयर, प्रतिवादी नम्बर 2 का 0.5000 हैक्टेयर , प्रतिवादी नम्बर 3 का 0.3800 हैक्टेयर हक हिस्सा दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। राजीनामे में बटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता नहीं चाही गई है। अतः वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेडा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

यह आज दिनांक 04.04.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की जाकर दी गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:17:09 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय, सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 211 / 2022 वाद
GCMS No. – 2022 / 653

1. रामविलास उर्फ कैलाशचन्द्र पुत्र स्व० श्री भोलीराम सुथार निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

– वादी

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र स्व० श्री भोलीराम सुथार निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. रमेश पुत्र स्व० श्री भोलीराम सुथार निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. राजेन्द्र कुमार पुत्र सोहनलाल बालोटिया निवासी बालोटीया टेलीकॉम बस स्टेण्ड निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ
4. उपपंजीयक महोदय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–प्रतिवादीगण

उपस्थित
वादी अधिवक्ता :– श्री अबरार अहमद
प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के अधिवक्ता–श्री विशाल कुमावत

वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 53,88,188,209
राजस्थान काश्तकारी अधि0–1955

(सहायक कलक्टर निम्बाहेडा–जिला)

–: घोषणा :–

निर्णय तिथि :– 15.03.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादी ने एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तेनी पैतृक आराजियात वाके मौजा बडोलीघाटा पटवार हल्का बडोलीघाटा तहसील निम्बाहेडा में स्थित खाता संख्या 294 की आराजी नं0 168 रकबा 0.0100 है[illegible]वेल, आराजी नं0 169 रकबा 1.5200 हेक्टेयर कुल किता 2 [illegible] स्थित हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:17:09 IST
Reason: SelfAttested

2. वादग्रस्त पुश्तैनी पैतृक आराजियात वादी एवं प्रतिवादीगण 1 व 2 के संयुक्त कब्जे काश्त में चली आ रही है। वादग्रस्त आराजियात में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की बहनो मोहनीबाई, नब्बुबाई एवं राजीबाई पिता भोलीराम का दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्से को मोहनीबाई, नबुबाई व राजीबाई द्वारा बिना कोई प्रतिफल लिये हक त्याग वादी व

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में बराबर हक त्याग दिनांक 08/04/2021 को पंजीकृत करवा दिया, चूंकि वादी का नाम खातेदारी मे दर्ज नही होने से वादी के पक्ष में उसकी बहनो द्वारा किये गये हक त्याग दिनांक 08/04/2021 से वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुआ, और वादी के पक्ष मे वादी की बहनो द्वारा किया गया 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया, जिस पर वादी ने वादग्रस्त आराजियात वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादी नं० 1 व 2 दिगर लोगो के सिखावे में आकर वादग्रस्त आराजियात वादी नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की कहने पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 टाल चाल कर रहे है वादी का हक हिस्सा वादी के नाम पर कराने को तैयार नही हैं तथा वादी व मौतबीरों के समझाने बुझाने पर भी नही मान रहे हैं इसलिए वादी अपना 1/6 हक हिस्से पंजीकृत हक त्याग दिनांक 08/04/2022 से वादी के नाम घौषित करा, इसी अनुसार बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स करा वादी का 1/6 हक हिस्सा अलग खातेदारी में वादी के नाम दर्ज कराने का अधिकारी हैं।

3. वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि वादग्रस्त आराजियात में वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की बहनो मोहनीबाई, नब्बुबाई एवं राजीबाई पिता भोलीराम का दर्ज सम्पूर्ण हक हिस्से को मोहनीबाई, नबुबाई व राजीबाई द्वारा बिना कोई प्रतिफल लिये हक त्याग वादी व प्रतिवादी नं0 1 व 2 के पक्ष में बराबर हक त्याग दिनांक 08/04/2021 को पंजीकृत करवा दिया, चूंकि वादी का नाम खातेदारी मे दर्ज नही होने से वादी के पक्ष में उसकी बहनो द्वारा किये गये हक त्याग दिनांक 08/04/2021 से वादी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं हुआ, और वादी के पक्ष मे वादी की बहनो द्वारा किया गया 1/6 हक हिस्सा, प्रतिवादी नं0 1 व 2 के नाम दर्ज कर दिया गया, जिस पर वादी ने वादग्रस्त आराजियात वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करवाने हेतु प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादी नं० 1 व 2 दिगर लोगो के सिखावे में आकर वादग्रस्त आराजियात वादी नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने की कहने पर प्रतिवादी नं0 1 व 2 टाल चाल कर रहे है ।

4. वाद प्रस्तुत कर निवेदन है की वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजियात पर वादी अपना 1/6 हक हिस्सा पंजीकृत हक त्याग दिनांक 08.04.2022 से वादी के नाम घोषित करा, इसी अनुसार बटवारा बाय मिट्स एंड बाउण्ड्स कर वादी का 1/6 हक हिस्सा मौके पर काबिज एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार वादग्रस्त आराजियात का बटवाड़ा बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया जाकर ,वादी व प्रतिवादीगण का हक हिस्सा अलग अलग खातेदारी में दर्ज किया जावें, लगान की फाटनी कराई जावें एवं इसी अनुसार हम वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

5. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी नम्बर 3 बावजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। वादी [illegible] एवं प्रतिवादी नम्बर 1 व 2 मय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर राजीनामा [illegible] नियम 3 जा0दी0 पेश किया तथा प्रस्तुत राजीनामा में अंकित [illegible] मौजा बडोलीघाटा पटवार हल्का बडोलीघाटा [illegible] आराजी नम्बर 169 रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि में वादी का 0.1400 हैक्टेयर , प्रति[illegible] नम्बर 1 का 0.500 हैक्टेयर, प्रतिवादी नम्बर 2 का 0.5000 हैक्टेयर , प्रतिवादी नम्बर 3 का 0.3800 हैक्टेयर भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हक हिस्सा घोषित किया जाकर उनके राजस्व रेकार्ड में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:17:09 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned with OKEN Scanner

दर्ज हिस्सा एवं मौके पर कब्जे अनुसार तथा प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाने का निवेदन किया ।

6. अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण की आपसी सहमति होने से मौजा बडोलीघाटा पटवार हल्का बडोलीघाटा के खाता संख्या 294 की आराजी नम्बर 169 रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि में वादी का 0.1400 हैक्टेयर , प्रतिवादी नम्बर 1 का 0.500 हैक्टेयर, प्रतिवादी नम्बर 2 का 0.5000 हैक्टेयर , प्रतिवादी नम्बर 3 का 0.3800 हैक्टेयर भूमि का हक हिस्सा दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

घोषणा है कि

वादीगण का वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88,53,188,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 पर्याप्त सबूतों एवं राजीनामे के परिपेक्ष्य में स्वीकार किया जाता है एवं मौजा बडोलीघाटा पटवार हल्का बडोलीघाटा के खाता संख्या 294 की आराजी नम्बर 169 रकबा 1.52 हैक्टेयर भूमि में वादी का 0.1400 हैक्टेयर , प्रतिवादी नम्बर 1 का 0.5000 हैक्टेयर, प्रतिवादी नम्बर 2 का 0.5000 हैक्टेयर , प्रतिवादी नम्बर 3 का 0.3800 हक हिस्सा दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती हैं । राजीनामे में बटवारे एवं स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता नहीं चाही गई है। अतः वादी का वाद कतई डिक्री किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेड़ा घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करावें।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 15.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

न्यायालय सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा–जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.08.27 15:17:09 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner